HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14392/2025

Shivraj Singh Alias Shekhu S/o Devisingh Rajput, R/o Village Dhanota, Police Station Amarsar, District Jaipur Rural, Presently Residing At Plot No. 48, Nanu Nagar, Gold Spot Colony, Murlipura, Jaipur
(Presently Confined In Central Jail Jaipur, Rajasthan).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14393/2025

Shivraj Singh Rathore Alias Kalu S/o Kishor Singh Rajput, R/o Village Jasuria, Police Station Makarana, District Nagaur, Presently Residing At Plot No. 12A, Raj Vatica-2, Vaishno Vihar, Near Jagdamba School, Nangal Jaisa Bohara, Police Station Kardhani, Jaipur
(Presently Confined In Central Jail Jaipur, Rajasthan).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 16344/2025

Baldeep Singh Rathore @ Sonu S/o Shri Kuldeep Singh Rathore, Aged About 22 Years, R/o Village Chawandiya, Tehsil Makrana, District Nagaur At Present R/o Plot No. 22, Green Kunj, Nangal Jaisa Bohra, Kardhani, Jaipur.
(At Present Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2394/2026

Ajay Singh Shekhawat @ Ajay Singod S/o Shri Shankar Singh Shekhawat, Aged About 31 Years, R/o Neemo Wali Dhani, Tan Singod, Police Station Govindgarh, Jaipur, At Present Plot No. 193, Green Park, Nangal Jaisa Bohara, Jaipur. (At Present In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Deepak Chauhan with
Mr. Sahil rajpurohit,
Ms. Ananya Gupta and
Mr. Harsh Joshi
Mr. Jai Prakash Gupta
Mr. Sanjay Verma

For Respondent(s) : Ms. Aarti Sharma, PP
Mr. Chandra Shekhar
Ms. Bhumika Goyal with
Mr. Bhupendra Dabi and
Ms. Anshu Agarwal for
Mr. Ajay Kumar Jain

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**26/02/2026**
2.	**Judgment Reserved On:**	**26/02/2026**
3.	**Full Judgment/Operative Part Pronounced:**	**Full Judgment**
4.	**Pronounced On:**	**10.03.2026**

प्रार्थी / अभियुक्त बलदीप सिंह राठौड़ की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र तथा अन्य प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना करधनी जिला जयपुर पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1186 / 2022 अपराध अन्तर्गत धारा

147, 148, 149, 302, 120बी भारतीय दंड संहिता तथा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 (संशोधन 2019) में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त चारों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त चारों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ शेखू तथा शिवराज सिंह राठौड़ दिनांक 11.02.2023 से तथा प्रार्थी/अभियुक्त बलदीप सिंह करीब 3 वर्ष से तथा प्रार्थी/अभियुक्त अजय सिंह शेखावत दिनांक 23.11.2022 से अभिरक्षा में हैं, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में चलते हुए करीबन 3 वर्ष हो चुके हैं, वे न्यायालय द्वारा दी गई शर्तों की पालना करने के लिए तैयार हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अनावश्यक अभिरक्षा में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में सहअभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14394/2025 आदेश दिनांक 03.12.2025, रघवेन्द्र सिंह उर्फ बंटी का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6697/2025 आदेश दिनांक 16.10.2025 के द्वारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। लंबी अवधि से निरूद्ध होने के चलते जमानत लिए जाने के संबंध में घनश्याम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, एस.एल. पी. नंबर 5397/2019 आदेश दिनांक 10.01.2020, अब्दुल मजीद लोन बनाम जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र एस.एल.पी. नंबर 3961/2022 आदेश दिनांक 01.08.2022 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जमानत दी गई है। आरोप पत्र प्रस्तुत होने और सहअभियुक्तगण की जमानत होने के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत भी ली जानी चाहिए। ऐसा ही सिद्धांत शाहरूख उर्फ बंटी बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2023 सुप्रीम(एससी) 622 विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध जो आरोपित अपराध बताए

गए हैं, उसमें से शिवराज सिंह उर्फ कालू के प्रकरण क्रमशः सेशन प्रकरण संख्या 15/2020 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2024, फौजदारी सेशन प्रकरण संख्या 07/2016 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2025, प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह के प्रकरण क्रमशः आपराधिक प्रकरण संख्या 528/2013 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2014, सेशन प्रकरण संख्या 18/2012 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2014, सेशन प्रकरण संख्या 29/2012 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2018, शिवराज सिंह उर्फ कालू और शिवराज सिंह उर्फ शेखू सेशन प्रकरण संख्या 48/2023 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2025., अभियुक्त शिवराज सिंह सेशन प्रकरण संख्या 271/2013 में विचारण न्यायालय ने जरिए राजीनामा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021, प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ शेखू का सेशन प्रकरण संख्या 32/2016 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 द्वारा लंबित अपराध में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुके है।

Prabhakar Tewari Versus State of Uttar Pradesh and Another, (2020) 11 Supreme Court Cases 648, order dated on 24.01.2020 विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य प्रकरण लंबित होने के आधार पर अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रकरण साक्ष्य अभियोजन में लंबित है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आए हैं कि घटना के समय गैंग के मुखिया प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह राठौड़ उर्फ कालू, शिवराज सिंह उर्फ शेखू द्वारा पूर्व से सुनियोजित योजना के तहत पूजा

ट्रेवल्स पर बैठकर सहअभियुक्तगण के संपर्क में रहकर वारदात करवाने व गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थी/अभियुक्त बलदीप सिंह और सहअभियुक्त विजय सिंह तथा अन्य अभियुक्तण द्वारा मृतक के घर के आसपास रैकी कर सिग्नल ऐप के माध्यम से आपस में संपर्क कर लाठी, सरिया, पाईप, हथौड़ा तथा पिस्टल जैसे घातक हथियारों से सुसज्जित होकर मृतक विजेन्द्र सिंह की मृत्यु कारित करने के अपराध का आरोप है। इस तथ्य की पुष्टि उनके द्वारा बनाए गए 'शिवराज ग्रुप' नामक वाट्सएप ग्रुप में अनुसंधान के दौरान मिले एक–दूसरे को भेजने वाले संदेश, घटना के फोटोग्राफ शेयर कर ग्रुप द्वारा खुशी का इजहार करने का संदेश व ईशारा भेजने, वायरल की गई वीडियो पूजा ट्रेवल्स के सी.सी.टी.वी. फुटेज, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से जब्तशुदा मोबाईल व उनकी मोबाईल चैट्स के अवलोकन से स्पष्ट होती है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्य सहअभियुक्तगण जिनका जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया गया है, उनके समान नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर किस्म के हैं, वे आदतन अपराधी हैं, उनके विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन समस्त प्रकरणों में उनके द्वारा मारपीट करना, आतंक फैलाना इत्यादि के अपराध दर्शित किए गए हैं। चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आपराधिक गैंग के सदस्य हैं, ऐसी स्थिति में कोई सभ्य व्यक्ति न्यायालय में उनके विरुद्ध गवाही नहीं देता है और तकनीकी और कानूनी बिंदुओं, तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कुछ प्रकरणों में यदि दोषमुक्त हुए हैं, तो यह नहीं माना जा सकता है कि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया हो। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान अधिकारी, सीसीटीवी फुटेज के जब्ती से संबंधित साक्षी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षी के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे साक्षीगण को डराएंगे व धमकाएंगे और जिस प्रकार से कुछ प्रकरणों में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दोषमुक्त हुए हैं, उसी तरह से इस प्रकरण में गवाहों को डराकर और धमकाकर, पक्षद्रोही घोषित करने का प्रयास करेंगे।

प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ कालू के विरुद्ध 2008 से लगातार विभिन्न धाराओं में 16 आपराधिक प्रकरण, प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज उर्फ शेखु के विरुद्ध वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2019 तक 9 आपराधिक प्रकरण और प्रार्थी/अभियुक्त अजय सिंह शेखावत के विरुद्ध 4 आपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज रहे हैं। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना के तथ्यों के अनुसार घटना घटित होने की दिनांक 09.11.2022 से पूर्व मृतक विजेन्द्र सिंह और प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ कालू के मध्य लेनदेन को लेकर आपस में विवाद हुआ। घटना घटना घटित होने से 2–3 माह पूर्व शिवराज गैंग के सक्रिय सदस्य जितेन्द्र सिंह हुल्डानी व मृतक विजेंद्र सिंह के मध्य राज इन होटल बेनाड रोड पर झगड़ा हुआ। इस पर मृतक विजेन्द्र सिंह से बदला लेने के लिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक विजेन्द्र सिंह की हत्या का षड्ंयत्र रचा और दिनांक 04.11.2022 को एक फार्महाउस में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अन्य अभियुक्तगण के साथ एकत्रित होकर मृतक की हत्या की योजना बनाई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शिवराज सिंह जुसरिया उर्फ कालू के साथ शिवराज सिंह उर्फ शेखू ने घटनास्थल से दूर पूजा ट्रेवल्स पर सिंधी कैंप पर बैठकर साथी अपराधियों के साथ विभिन्न मीडिया एप्स के जरिए संपर्क में रहकर घटना कारित कराते हुए, घटना के तुरंत बाद फरार होकर उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। उक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घटना में शामिल होने के तथ्य की पुष्टि पूजा ट्रेवल्स के मालिक सतीश डाबी के कथनों से और पूजा ट्रेवल्स के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज से होती है। परिवादी सत्येन्द्र सिंह के कथनों एवं सी.सी.टी.वी फुटेज से अन्वेषण के दौरान यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त बलदीप सिंह उर्फ सन्नी ने मृतक के मकान और घटनास्थल के आसपास

मोटरसाइकिल से रैकी की और अन्य अभियुक्तगण को सारी सूचना दी। मृतक के घर के बाहर प्रार्थी/अभियुक्त बलदीप सिंह उर्फ सन्नी का कई बार निकलना, घटना घटित होने की दिनांक 09.11.2022 को प्रार्थी/अभियुक्त बलदीप सिंह का मोटरसाइकिल लेकर परिवादी के घर के पास घूमते हुए दिखाई देना, घटना घटित होने के संबंध में 5 बजे मृतक के घर के सामने बार–बार जाना और मृतक के घर से निकलने के 5 मिनट पूर्व भी गुजरना और मृतक के बारे में सूचना देना और रैकी करना सीसीटीवी फुटेज व प्रार्थी/अभियुक्त बलदीप सिंह से जब्त मोबाइल के कॉल लॉग्स से स्थिति सामने आती है। प्रार्थी/अभियुक्त बलदीप सिंह शिवराज गैंग के सदस्यों से फोन कॉल्स से संपर्क में था और वह ''शिवराज ग्रुप'' नामक वाट्सऐप ग्रुप का सक्रिय सदस्य था। यह तथ्य भी अनुसंधान के दौरान उससे जब्त मोबाइल के कॉल लॉग्स से होती है। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बलदीप सिंह द्वारा सहअभियुक्त सागर सिंह शेखावत के इंस्टाग्राम आईडी से सोशल मीडिया को भी हेंडल करना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अजय सिंह की घटना कारित करने में सक्रिय भागीदारी निभाना सीसीटीवी फुटेज व घटना का लाइव वीडियो जो विभिन्न सोशल मीडिया में वायरल हुआ, से पाया गया। प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ शेखु का मोबाइल भी जब्त हुआ है, जिसमें मृतक विजेन्द्र सिंह को लहू–लुहान अवस्था में उठाते हुए दर्शित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ कालू के कब्जे से छोटी पॉकेट डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें मृतक की हत्या करने से संबंधित व षड्यंत्र रचने से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ कालू को इस प्रकरण में हिरासत में लेने पर दिनांक 20.02.2023 को हिरासत में चलती गाड़ी से कूदकर उसने भागने का प्रयास किया। जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, इस पर पुलिस थाना चौमूं में प्रथम सूचना संख्या 134/2023 अंतर्गत धारा 224, 332, 353 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कराई गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को यदि जमानत पर रिहा किया गया तो उनके जो प्रकरण विचाराधीन रहे हैं, जो कि गंभीर प्रकृति के

हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस प्रकरण के गवाहों को डराएंगे या धमकाएंगे नहीं या अन्य कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेंगे। प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ कालू के विरुद्ध 2008 से लगातार विभिन्न धाराओं में, हत्या तथा हत्या के प्रयास की धाराओं में आरोपित अपराध रहे हैं, इसी प्रकार से प्रार्थी/अभियुक्त शिवराज उर्फ शेखु के विरुद्ध वर्ष 2011 से 9 आपराधिक प्रकरण और प्रार्थी/अभियुक्त अजय सिंह शेखावत के विरुद्ध 3 आपराधिक प्रकरण विभिन्न धाराओं में 2010 से विचाराधीन रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जिन अभियुक्तण को अन्य प्रकरण में दोषमुक्त होने के तथ्य कहे हैं, उनके प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मारपीट, भय उत्पन्न करने वगैरह के आपराधिक कृत्य में लिप्त रहे हैं।

सहअभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने से यदि इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उनके आपराधिक कृत्य को देखकर और पुलिस हिरासत में अभियुक्त के भागने के तथ्य को व अन्य आपराधिक प्रकरणों में साक्षी के पक्षद्रोही होने और राजीनामा होने के आधार पर प्रकरण के निस्तारण होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज, फर्द जब्ती अन्वेषण अधिकारी वगैरह महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान इस प्रकरण में लेखबद्ध होने शेष हैं और यदि इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को डराएंगे या धमकराएंगे नहीं और विचारण को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का करीबन 3 वर्ष अभिरक्षा में रहने के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते हैं, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय Ash Mohammad vs Shiv Raj

Singh @ Lalla Babu & Anr; 2012 (9) SCC 446 order dated 20 September, 2012 में निम्न मत अभिव्यक्त किया गया हैः—

> *32. We may usefully state that when the citizens are scared to lead a peaceful life and this kind of offences usher in an impediment in establishment of orderly society, the duty of the court becomes more pronounced and the burden is heavy. There should have been proper analysis of the criminal antecedents. Needless to say, imposition of conditions is subsequent to the order admitting an accused to bail. The question should be posed whether the accused deserves to be enlarged on bail or not and only thereafter issue of imposing conditions would arise. We do not deny for a moment that period of custody is a relevant factor but simultaneously the totality of circumstances and the criminal antecedents are also to be weighed. They are to be weighed in the scale of collective cry and desire. The societal concern has to be kept in view in juxtaposition of individual liberty. Regard being had to the said parameter we are inclined to think that the social concern in the case at hand deserves to be given priority over lifting the restriction of liberty of the accused.*

उपर्युक्त विनिश्चय का उल्लेख माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने आदेश The State of karnataka Vs. Sri Darshan etc., 2025 INSC 979, order dated 14.10.2025. में भी किया गया है।

केवल लंबी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में रहने के आधार पर ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते हैं, इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए और उनके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेबखद्ध होने शेष होने और प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण—दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. शिवराज सिंह उर्फ शेखू पुत्र श्री देवीसिंहराजपूत 2. शिवराज सिंह राठौड़ उर्फ कालू पुत्र श्री किशोर सिंह राजपूत 3. बलदीप सिंह राठौड़ उर्फ सोनू पुत्र श्री कुलदीप सिंह राठौड़ 4.**

अजय सिंह शेखावत उर्फ अजय सिंगोद पुत्र श्री शंकर सिंह शेखावत की ओर से प्रस्तुत ये जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाते हैं।

चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं, अतः विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता से लेखबद्ध करे तथा प्रकरण के शीघ्र गति से निस्तारण का प्रयास करे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /8-11